फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री सत्यनारायण **विपक्षी : श्री लोगरलाल**

किस्म मुकदमा – 88,188,63(1)(4) रा.का.अ. **पत्रावली संख्या : 34/18**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 13.02.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 से 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता वादीगण की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 से 3 व भगवानी पत्नी भूरा के नाम 1/2 हिस्सेनुसार दर्ज हैं, जो दस्तावेज प्रदर्श 1 से स्पष्ट होता है। वर्तमान में भगवानी पत्नी भूरा की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस पत्रावली में प्रतिवादी सं. 1 से 3 हैं। वादग्रस्त भूमि को भूरा पिता कालु द्वारा दिनांक 31.10.1986 को वादीगण के पिता/पति प्रताप को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दी थी, जो दस्तावेज प्रदर्श 2ए से जाहिर होता हैं। भूरा फौत होने से भूरा के वारिस प्रतिवादी सं. 1 से 3 व भगवानी के नाम विरासत से भूमि दर्ज हो गई। पत्रावली के अवलोकन से विक्रय का नामान्तरकरण पारित नहीं होने से वादग्रस्त भूमि भूरा के वारिसों में चली आ रही हैं। वादीगण द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री सत्यनारायण, पीडब्ल्यू 2 श्री पन्नालाल, पीडब्ल्यू 3 श्री मांगीलाल का पेश किया। वादी द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1, विक्रय पत्र दिनांक 31.10.1986 प्रदर्श 2ए पेश किये। वादीगण के पिता/पति द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय की हैं। वादीगण के पिता/पति एक सद्भावी क्रेता हैं। वादीगण के पिता/पति द्वारा पूर्णप्रतिफल अदा कर भूमि क्रय की हैं। अतः वादीगण वादग्रस्त भूमि की घोषणा करा जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी सं. 1 से 3 को पाबंद कराने का अधिकारी हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

:: आदेश ::

परिणामस्वरूप वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा गुडली पटवार हल्का गुडली की आराजी नम्बर 100, 101, 341, 342 किता 4 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि में खातेदार लोगरलाल पिता भूरा, राधाकिशन पिता भूरा, नानीबाई पुत्री भुरा, भगवानीबाई पत्नी भूरा के बजाय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.10.1986 के आधार पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें, वादीगण को भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.17 17:56:00 IST
Reason: SelfAttested

श्रीकांत व्यास
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S.

मुकदमा नम्बर : 34/18 (वाद) GCMS No. : 2018/00104

उनवान

1. श्री सत्यनारायण पिता प्रताप नाई, सेन निवासी गुडली तह. मावली।
2. श्री पप्पुलाल पिता प्रताप नाई, सेन निवासी गुडली तह. मावली।
3. श्री गणपतलाल पिता प्रताप नाई, सेन निवासी गुडली तह. मावली।
4. श्रीमती गोदावरी पुत्री प्रताप पत्नी राधुलाल नाई, सेन निवासी भोपालसागर तह. भोपालसागर।
5. श्रीमती सीता पुत्री प्रताप पत्नी रामलाल नाई, सेन निवासी नान्दवेल, तह. मावली।
6. श्रीमती नारायणी बेवा प्रताप नाई, सेन निवासी गुडली तह. मावली।
7. श्री रूपलाल पिता प्रताप नाई, सेन निवासी गुडली तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम

1. श्री लोगरलाल पिता भूरा नाई निवासी गुडली तह. मावली।
2. श्री राधाकिशन पिता भुरा नाई निवासी गुडली तह. मावली।
3. श्रीमती नानीबाई पुत्री भुरा पत्नी किशन सेन, नाई निवासी पुराना आर.टी.ओ. ऑफिस के सामने, ढिकली रोड उदयपुर।
4. पटवारी, पटवार हल्का गुडली तह. मावली।
5. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय मावली तह. मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 63(1)(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 63(1)(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा गुडली पटवार हल्का गुडली की आराजी नम्बर 100, 101, 341, 342 किता 4 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि में खातेदार लोगरलाल पिता भूरा, राधाकिशन पिता भूरा, नानीबाई पुत्री भुरा, भगवानीबाई पत्नी भूरा के बजाय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.10.1986 के आधार पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें, वादीगण को भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक तारीख 13.02.2023 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.17 17:56:00 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली